न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : 67 / 2020

–: वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. हरिराम पुत्र लुणाराम जाति मेघवाल निवासी बागोरिया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. श्री राकेश कुमार रलिया, रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–30 / 06 / 2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम बागोरिया तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 156 के खसरा नं. 1019 रकबा 0.7284 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 1102 रकबा 0.5908 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3192 हैक्टेयर व खाता संख्या 155 खसरा नं. 1020 रकबा 0.4937 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है, जिसको आगे दावे में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। सबूत में जमाबंदी संवत् 2077 से 2080 तक संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी वादी के पिता के नाम की खातेदारी हकूक की कब्जासुद भूमि थी, जिस पर वादी के पिता काबिज होकर काश्त करता आ रहे थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त वादी व वादी के माता व बहनों का चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी वादी के पिता की खातेदारी भूमि है जो वादी की पुश्तैनी भूमि है जो वादी को विरासत से प्राप्त हुई है, उक्त भूमि में वादी का नाम बदरीराम दर्ज है जो कि गलत है, वादी का सही नाम हरिराम है जिसकी जानकारी वादी को हल्का पटवारी से दिनांक 02.12.2020 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुई। वादी का नाम अन्य दस्तावेज जैसे जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिचयपत्र व शैक्षणिक अंकतालिका में हरिराम पुत्र लूणाराम है, जो सही है। बदरीराम पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है, जिसको दुरुस्त करवाना आवश्यक है। उक्त खातेदारी में वादी का नाम बदरीराम पुत्र लूणाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र लूणाराम नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः राजस्व ग्राम बागोरिया तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 156 के खसरा नं. 1019 रकबा 0.7284 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 1102 रकबा 0.5908 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3192 हैक्टेयर व खाता संख्या 155 खसरा नं. 1020 रकबा 0.3937 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि में राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बदरीराम पुत्र लूणाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र लूणाराम नाम की खातेदारी घोषणा कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:06 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर [illegible] किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ ने जवाबदावा [illegible] किया गया [illegible] राजस्व ग्राम बागोरिया तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 156 के खसरा नं. 1019 रकबा 0.7284 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 1102 रकबा 0.5908 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय [illegible] खसरा 02 कुल रकबा 1.3192 हैक्टेयर व खाता संख्या 155 खसरा नं. 1020 रकबा 0.4937 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि में वादी अपना नाम बदरीराम पुत्र लूणाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र लूणाराम नाम की घोषणा कर राजस्व

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

रेकर्ड दुरूस्त करवाना चाहता है। माननीय न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वादी के वादपत्र पर प्रतिवादी द्वारा कोई आपति पेश नही की गयी।

वादी के वादपत्र एवं जवाबदावा का अवलोकन करने पर पाया कि तनकीयात की आवश्कता नही है। वादी की ओर से शांति पुत्री लुणाराम पत्नी हरचन्दराम आयु 36 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बागोरिया तहसील भोपालगढ़ हाल निवासी बोड़वी खुर्द जिला जोधपुर, सुवा उर्फ सुवटी पत्नी लुणाराम आयु 64 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बागोरिया तहसील भोपालगढ़, लूनाराम पुत्र गंगाराम आयु 78 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बागोरिया तहसील भोपालगढ़ के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये तथा साक्ष्य वादी गवाह शांति, सुवा उर्फ सुवटी, लूनाराम के आदेशिका पर अंगूठा निशान/हस्ताक्षर करवाये गये। प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ की ओर से सरकारी पैरोकार ने साक्ष्य वादी जिरह एवं साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने का निवेदन किया। अतः साक्ष्य वादी जिरह व साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी। वादी वकील की बहस सुनी गयी।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संख्या 2077–2080 का अवलोकन किया गया जिसमें राजस्व ग्राम बागोरिया तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 156 के खसरा नं. 1019 रकबा 0.7284 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 1102 रकबा 0.5908 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3192 हैक्टेयर व खाता संख्या 155 खसरा नं. 1020 रकबा 0.4937 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, टी.सी. का अवलोकन किया। वादी की ओर से वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार शांति, सुवा उर्फ सुवटी के पेश साक्ष्य शपथपत्र का अवलोकन किया गया जिसमें बताय गया कि उनके पिता/पति लुणाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय मेरे भाई/पुत्र का बोलचाल वाला नाम बदरीराम दर्ज कर दिया है जबकि मेरे भाई/पुत्र के आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचयपत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेज में नाम हरिराम पुत्र लुणाराम दर्ज है जो सही व सत्य है तथा हरिराम व बदरीराम पुत्र लुणाराम एक ही व्यक्ति है। बदरीराम पुत्र लुणाराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। उक्त वादग्रस्त आराजी में मेरे भाई/पुत्र का नाम न्यायालय हाजा द्वारा बदरीराम के स्थान पर हरिराम दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है, इसमें मैं पूर्ण रूप से सहमति प्रदान करती हूं। वादी की ओर से खेत के पाड़ौसी लूनाराम पुत्र गंगाराम का पेश साक्ष्य शपथपत्र पेश का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया कि वादी के पिता लुणाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय वादी का बोलचाल वाला नाम बदरीराम दर्ज कर दिया है जबकि वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचयपत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेज में नाम हरिराम पुत्र लुणाराम दर्ज है जो सही व सत्य है तथा हरिराम व बदरीराम पुत्र लुणाराम एक ही व्यक्ति है। बदरीराम पुत्र लुणाराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वादी के शपथपत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथपत्र, जवाबदावा के अवलोकन एवं वकील वादी की बहस पर मनन उपरान्त पाया कि हरिराम व बदरीराम पुत्र लुणाराम एक ही व्यक्ति है। बदरीराम पुत्र लुणाराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है तथा वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचयपत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेज में नाम हरिराम पुत्र लुणाराम दर्ज है। अतः वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

—:: आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:06 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान [illegible] अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का [illegible] को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बागोरिया [illegible] की सर[illegible] भूमि खाता संख्या 156 के खसरा नं. 1019 रकबा 0.7284 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 1102 रकबा 0.5908 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3192 हैक्टेयर व खाता [illegible] 155 खसरा नं. 1020 रकबा 0.4937 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

राजस्व रेकर्ड में बदरीराम पुत्र लूणाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र लूणाराम दर्ज किया जावे। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 30/06/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर
बईजलास :–श्री जवाहर राम चौधरी,आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम प्रतिवादी :–

1. हरिराम पुत्र लुणाराम
जाति मेघवाल निवासी बागोरिया
तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

1. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा,
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 67 2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री राकेश कुमार रलिया, रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बागोरिया तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 156 के खसरा नं. 1019 रकबा 0.7284 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 1102 रकबा 0.5908 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3192 हैक्टेयर व खाता संख्या 155 खसरा नं. 1020 रकबा 0.4937 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में बदरीराम पुत्र लूणाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र लूणाराम दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **30/06/2021** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:06 IST
Reason: SelfAttested